संख्या 505/XXVII(9)/2012/स्टाम्प–42/2008

प्रेषक,

प्रदीप सिंह रावत,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक, निबन्धन,
उत्तराखण्ड देहरादून।

वित्त अनुभाग–9 देहरादूनः दिनांक 26 सितम्बर, 2012

विषयः– उत्तराखण्ड स्टाम्प (ई–स्टाम्प प्रमाण–पत्रों के माध्यम से शुल्क का संदाय) (संशोधन) नियमावली, 2012 में प्रस्तावित व्यवस्था विषयक।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि उत्तराखण्ड स्टाम्प (ई–स्टाम्प प्रमाण–पत्रों के माध्यम से शुल्क का संदाय) (संशोधन) नियमावली, 2012 के प्रख्यापन की कार्यवाही वर्तमान में अन्तिम चरण में गतिमान है, तथा दिनांक 01.10. 2012 तक उक्त नियमावली की अधिसूचना जारी होने की सम्भावना है। उक्त नियमावली द्वारा पूर्व की व्यवस्था में परिवर्तन कर निम्नवत् व्यवस्था प्रस्तावित की जा रही है:–

1. ई–स्टाम्पिंग व्यवस्था को उत्तराखण्ड के चार जिलों (देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर एवं नैनीताल) के स्थान पर पूरे प्रान्त में लागू होगी।
2. उत्तराखण्ड स्टाम्प (ई–स्टाम्प प्रमाण–पत्रों के माध्यम से शुल्क का संदाय) (संशोधन) नियमावली, 2011 के नियम 20 के उपनियम (1) व (3) में एवं अनुबन्ध में संशोधन करते हुये सेवा प्रदाता को पूर्व में हुये अनुबन्ध के अनुरूप कमीशन के अतिरिक्त सर्विस टैक्स, सैस आदि की प्रतिपूर्ति व्यवस्था की जाती है।
3. सेवा प्रदाता द्वारा ई–स्टाम्पिंग से प्राप्त धनराशि को राजकीय कोषागार में जमा करने एवं सेवा प्रदाता को कमीशन व सर्विस टैक्स, सैस आदि का भुगतान एवं आयकर की मद में टी0डी0एस0 की कटौती की व्यवस्था निम्न प्रकार करने की व्यवस्था की जाती है–

(i) सेवा प्रदाता द्वारा ई–स्टाम्पिंग से प्राप्त धनराशि को राजकीय साईबर कोषागार मे जमा कराया जायेगा और प्रतयेक माह में प्राप्त कुल धनराशि की सूचना साईबर ट्रेजरी देहरादून के साथ–साथ महानिरीक्षक, निबन्धन को अगले माह की 03 तारीख तक प्राप्त करा दी जायेगी।

(ii) सम्बन्धित माह में सेवा प्रदाता के स्तर से देय सर्विस टैक्स, एजूकेशन सैस, सैकेण्ड्री/हायर एजूकेशन सैस अथवा कोई अन्य कर, यदि देय हो, तो उसकी सूचना भी महानिरीक्षक निबन्धन को अगले माह की 03 तारीख तक उपलब्ध करा दी जायेगी।

क्रमशः..2...

(iii) सेवा प्रदाता द्वारा माह में उपलब्ध ई–स्टाम्पिंग से प्राप्त धनराशि एवं उनके स्तर से देय करों का महानिरीक्षक, निबन्धन द्वारा नामित अधिकारी के स्तर से सत्यापन के उपरान्त सेवा प्रदाता को देय कमीशन (0.65 प्रतिशत) एवं देय सर्विस टैक्स व अन्य कर की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में एवं इस पर आयकर की मद में कटौती किये जाने वाले टी0डी0एस0 के संबंध में एवं इस पर आयकर की मद में कटौती किये जाने वाले टी0डी0एस0 के सम्बन्ध में महानिरीक्षक, निबन्धन द्वारा नामित अधिकारी के आदेशानुसार साईबर ट्रेजरी द्वारा सेवा प्रदाता को अगले माह की 07 तारीख तक इसका भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा और टी0डी0एस0 की धनराशि की कटौती करके आयकर की मद में जमा करायी जायेगी।

2– उत्तराखण्ड स्टाम्प (ई–स्टाम्प प्रमाण–पत्रों के माध्यम से शुल्क का संदाय) (संशोधन) नियमावली, 2012 की अधिसूचना प्रख्यापित होने के उपरान्त ही उपरोक्त व्यवस्था क्रियान्वित होगी, परन्तु दिनांक 01.10.2012 से उपरोक्त व्यवस्था के प्रचलन में आने की सम्भावना के दृष्टिगत अपने स्तर से उपरोक्त व्यवस्था को लागू किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव

संख्या 505 (1)/XXVII(9)/2012/स्टाम्प–42/2008 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून।
2. रीजनल मैनेजर, उत्तराखण्ड, स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि0 देहरादून।
3. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव